

राजस्थान सरकार
सांख्यिकी विभाग

क्रमांक:प.4(1)आयो.-1 / सांख्यिकी / 2019पार्ट

जयपुर, दिनांक

17 AUG 2020

आज्ञा

राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के सहायक निदेशक से उप निदेशक पद की वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 की विभागीय पदोन्नति समिति की पुनर्विलोकन (Review) के लिए दिनांक 21.07.2020 को आयोजित बैठक की अनुशांसा पर निम्नानुसार अधिकारियों को पदोन्नत किया जाता है:-

वर्ष 2001-02

वर्ष 2001-02 में आरक्षित वर्ग की रिक्ति उपलब्ध नहीं है एवं आरक्षित वर्ग के अधिकारी से अनारक्षित वर्ग के किसी भी कनिष्ठ अधिकारी को वर्ष 2001-02 में पदोन्नत नहीं किया गया है। अतः वर्ष 2001-02 में श्री लक्ष्मी नारायण की अनारक्षित पद के विरुद्ध योग्यता के आधार पर की गई पदोन्नति को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसार उक्त वर्ष में तदर्थ पदोन्नत किया जाता है।


वर्ष 2002-03

वर्ष 2001-02 की नियमित डीपीसी दिनांक 19.09.2003 की पदोन्नति सूची में आरक्षित वर्ग का पद नहीं होने के कारण रोस्टर से अधिक पदोन्नति होने पर श्री लक्ष्मी नारायण की पदोन्नति को तदर्थ किये जाने एवं वर्ष 2002-03 की पदोन्नति सूची में सामान्य वर्ग के कनिष्ठ अधिकारी श्री बहादुर राम शर्मा एवं श्री रमेश चन्द्र बड़गुर्जर को पदोन्नत किये जाने के कारण श्री लक्ष्मी नारायण को वर्ष 2002-03 में समायोजित किया जाता है। उक्त वर्ष की पदोन्नति सूची निम्नानुसार रखी जाती है-

क्र.स.	अधिकारी का नाम	वर्ग	विशेष विवरण
1.	डॉ. रघुनाथ मीणा	अजजा	वरिष्ठता-सह-योग्यता
2.	श्री लड्डू लाल पहाड़िया	अजा	वरिष्ठता-सह-योग्यता
3.	श्री लक्ष्मी नारायण	अजा	योग्यता
4.	श्री बीरबल मीणा	अजजा	योग्यता
5.	श्री बहादुर राम शर्मा	सामान्य	वरिष्ठता-सह-योग्यता
6.	श्री रमेश चन्द्र बड़गुर्जर	सामान्य	योग्यता


आरक्षित वर्ग के अधिकारियों की पदोन्नति अनारक्षित वर्ग के अधिकारियों से मूल वरिष्ठता के आधार पर छाया पदों पर की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से


(डॉ. भारती दीक्षित)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय (आयोजना), राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी।
3. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।
4. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सेल, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय।
5. संबंधित विभाग
6. संबंधित अधिकारी
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


(स्नेहा सिंघानी)
सहायक शासन सचिव